न्यायालय तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्र0स0– 13/17

पीठासीन अधिकारी
छगनलाल रेगर
(आर0टी0एस)

अनवान

श्री तख्तसिंह पिता स्व0 गुलाबसिंह राजपूत वगैरा नि0 खजुरिया तह0 सहाड़ा — बनाम — सरकार

निर्णय अन्तर्गत राज0 भू राजस्व (भू0अभिलेख) नियम 1957 के नियम 135(2)

निर्णय दिनाकं –28.02.2018

प्रकरण में सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री तख्तसिंह पिता स्व0 गुलाबसिंह राजपुत नि0 खजुरिया तहसील सहाड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता गुलाबसिंह व रामसिंह दों सगे भाई होकर श्री रामसिंह के कोई जायन्दा सन्तान एवं पत्नी नही थी स्व0 रामसिंह जी की सेवा सुश्रुषा प्रार्थी के पिता गुलाब सिंह जी द्वारा ही की गई। स्व0 रामसिंह जी ने अपने छोटे भाई गुलाबसिंह जी के पक्ष में दिनाकं 20.05.2004 को वसीयत पत्र लिखा कर पंजीयन करा दिया गया किन्तु वसीयत गृहिता गुलाब सिंह जी का देहान्त वसीयतकर्ता रामसिंह से पहले हो जाने से रामसिंह जी द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व एक वसीयत पत्र दिनाकं 15.11.2013 को करणसिंह, तख्तसिंह, जवानसिंह,खुमाणसिह, नारायणसिंह के नाम पर टाईप करा नोटेरी करवाई उक्त वसीयत अपंजीकृत होकर श्री रामसिंह जी का देहान्त 21.04.2015 को हो चुका है अतः उक्त अपंजीकृत वसीयत पत्र दिनाकं 15.11.2013 अनुसार वसीयतकर्ता की ग्राम खजुरिया में स्थित कृषि भूमि खाता स0 81, 109, व 107 में अंकित होकर वसीयतकर्ता के हम प्रार्थीगण जायज वारिसान भी होकर व रामसिहं जी की सेवा सुश्रुषा भी हमारे द्वारा ही किये जाने से उक्त कृषि भूमियां स्व अर्जित होकर वसीयत पत्र अनुसार हम प्रार्थीगण करणसिंह, तख्तसिंह, जवानसिंह ,खुमाणसिह पिता गुलाबसिंह व, नारायणसिंह पिता हरिसिंह राजपूत नि0 खजुरिया के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण व अपंजीकृत वसीयत पत्र में अंकित गवाह, नोटेरी पब्लिक को सूचना पत्र जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी श्री तख्तसिंह ने अपने बयान में बताया कि वसीयत पत्र अनुसार वसीयतकर्ता रामसिंह पिता पहाड़सिंह राजपूत नि. खजुरिया जो इनके कोई जाईन्दा संतान व पत्नी नही होकर इनकी सेवा सुश्रुषा हमारे द्वारा ही की गई है, जिससे प्रसन्न होकर उक्त वसीयत हमारे पक्ष में लिखवाई गई है। स्व0 रामसिंह जी ने मृत्यु से पूर्व अन्तिम वसीयत हम प्रार्थीगणो के पक्ष में ही लिखवाई गई है स्व0 रामसिंह जी के नाम दर्ज कृषि भूमियों पर हम प्रार्थीगणो का ही वर्तमान में कब्जा होकर हम उपयोग उपभोग कर रहै है। उक्त भूमियों के सम्बन्ध में हम प्रार्थीगणो के मध्य कोई विवाद नही हैं। स्व0 रामसिंह जी के नाम दर्ज कृषि भूमियों में अन्य वारिसान का कोई हक अधिकार निहित नही है। उक्त कृषि भूमियां मृतक रामसिहं जी की स्व अर्जित भूमियां है। गवाह श्री शंकरदास पिता मोहनदास बैरागी नि0 खजुरिया ने अपने बयानो में बताया कि मृतक रामसिंह व गुलाबसिंह दोनो को में जानता हूं। दोनो भाई शामिल ही रहते थे, मृतक रामसिंह जी के कोई सन्तान व पत्नी नही है इनकी सेवा सुश्रुषा इनके भाई गुलाब सिंह जी व गुलाब सिंह जी मृत्यु के उपरान्त करणसिहं, तख्तसिंह, जवानसिंह, खुमाणसिंह पिता गुलाबसिंह, व नारायणसिंह पिता हरिसिंह राजपुत द्वारा ही की गई वर्तमान में स्व0 रामसिंह की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर प्रार्थीगणो का कब्जा चला आ रहा है। रामसिंह जी द्वारा दिनाकं 15.11.2013 को एक वसीयत पत्र प्रार्थीगणो के पक्ष में लिखवाया गया जिस पर रामसिंह जी के कहने पर मैने गवाही के हस्ताक्षर किये जो सही है मृतक रामसिंह जी ने वसीयत पत्र पर अगुंठा निशानी मेरे समक्ष ही लगाई गई उक्त वसीयत रामसिंह जी की अंतिम वसीयत होकर सही है तथा गवाह श्री मांगु पिता गोकल जाट नि0 खजुरिया ने भी अपने बयानो में बताया कि मृतक रामसिंह जी के कोई सन्तान व पत्नी नही है इनकी सेवा सुश्रुषा इनके भाई गुलाब सिंह जी व गुलाब सिंह जी मृत्यु के उपरान्त करणसिहं, तख्तसिंह, जवानसिंह, खुमाणसिंह पिता गुलाबसिंह, व नारायणसिंह पिता हरिसिंह राजपुत द्वारा ही की गई वर्तमान में स्व0 रामसिंह की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर प्रार्थीगणो का कब्जा चला आ रहा है।

लगातार

तहसीलदार सहाड़ा
मु0 गंगापुर

रामसिंह जी द्वारा दिनाकं 15.11.2013 को एक वसीयत पत्र प्रार्थीगणो के पक्ष में लिखवाया गया जिस पर रामसिंह जी के कहने पर मैने गवाही के हस्ताक्षर किये जो सही है मृतक रामसिंह जी ने वसीयत पत्र पर अगुंढा निशानी मेरे समक्ष ही लगाई उक्त वसीयत रामसिंह जी की अंतिम वसीयत होकर सही है, तथा इसके अतिरिक्त ग्राम खजुरिया निवासी राजमल पिता बरदीचन्द्र ब्राहमण,भैरूलाल पिता पृथ्वीराज जाट ने भी अपने बयानो में बताया कि मृतक रामसिंह व गुलाब सिंह को हम जानते है दोनो सगे भाई होकर इन दोनो की मृत्यु हो चुकी है। स्व0 रामसिहं के कोई संतान व पत्नी नही है रामसिंह जी की सेवा सुश्रुषा भाई गुलाबसिंह जी ने की व गुलाबसिंह जी की मृत्यु उपरान्त इनके पुत्र करणसिंह, तख्तसिंह, जवानसिंह, खुमाणसिंह व पौत्र नारायणसिंह ने की थी, वर्तमान में रामसिंह जी समस्त चल–अचल सम्पत्ति पर प्रार्थीगणो का ही कब्जा होकर उक्त भूमियों पर कोई पारिवारिक विवाद नही है। इसी प्रकार नोटेरी पब्लिक श्री जगदीशचन्द्र पिता धनराज व्यास ने अपने बयानो में बताया कि मृतक रामसिंह जी द्वारा दिनाकं 15.11.2013 को वसीयत पत्र प्रार्थीगणो के पक्ष में लिखवाया गया जो मेरे द्वारा नोटरी किया गया नोटरी रजिस्टर के कम स0 2476 पर दर्ज होकर दिनाकं 15.11.2013 को मेंरे द्वारा हस्ताक्षर कर वसीयत पत्र को नोटरी किया गया उक्त वसीयत अपंजीकृत होकर नोटरी रजिस्टर में अगुंठा निशानी रामसिंह जी द्वारा लगाई गई जो सही है।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पटवारी हल्का गोवलिया से जाचं प्रतिवेदन मय मौका पर्चा मगंवाया गया जो शामिल पत्रावली किया गया, रिपोर्ट पटवारी गोवलिया अनुसार मृतक रामसिंह पिता पहाड़सिंह के कोई पुत्र पुत्री नही है, इनकी पत्नी की मृत्यु शादी होने के एक दो वर्ष बाद ही हो चुकी थी जो लगभग 50–70 वर्ष पहले की बात है, रामसिंह पिता पहाड़सिंह के कोई भी जायन्दा विधिक वारिसान नही है

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत वसीयत पत्र तथा पत्रावली में लिये गये बयान अनुसार उक्त अपंजीकृत वसीयत पत्र जो मृतक रामसिंह की अंतिम वसीयत होकर प्रार्थीगणो द्वारा ही मृतक रामसिंह की सेवा सुश्रुषा किये जाने व मृतक रामसिंह की कृषि भूमियों का प्रार्थीगणो द्वारा ही उपयोग उपभोग किये जाने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ग्राम खजुरिया पटवार हल्का गोवलिया के खाता स0 81 में अंकित आराजीयात किता 09 रकबा 2.93 हे0, खाता स0 109 में अकित आराजीयात किता 02 रकबा 0.07 हे0, तथा खाता स0 107 में अंकित आराजी किता 01 रकबा 0.20 हे0 में मृतक रामसिंह मुत0 पहाडसिंह. के बजाय करणसिहं, तख्तसिंह, जवानसिंह, खुमाणसिंह पिता गुलाबसिंह व नारायणसिंह पिता हरिसिंह राजपुत नि0 खजुरिया का नाम दर्ज किया उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राज0 भू राजस्व (भू0अभिलेख) नियम 1957 के नियम 135(2) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम खजुरिया पटवार हल्का गोवलिया के खाता स0 81 में अंकित आराजीयात किता 09 रकबा 2.93 हे0, खाता स0 109 में अकित आराजीयात किता 02 रकबा 0.07 हे0, तथा खाता स0 107 में अंकित आराजी किता 01 रकबा 0.20 हे0 में मृतक रामसिंह मुत0 पहाडसिंह. के बजाय करणसिहं, तख्तसिंह, जवानसिंह, खुमाणसिंह पिता गुलाबसिंह, व नारायणसिंह पिता हरिसिंह राजपुत नि0 खजुरिया के नाम दर्ज किये जाने का आदेश एतद् द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें बैकं आफ बड़ौदा शाखा गंगापुर का रहन यथावत रखा जावे। प0ह0 गोवलिया को उक्त आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड़ में अकंन करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तमकील नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनाकं 28.02.2018 को सुनाया गया ।

तहसीलदार सहाड़ा
मुकाम गंगापुर